

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील राजस्व/27/2018

1 नरेन्द्र पुत्र गिरधर जाति जाट निवासी ग्राम हरनेरा तहसील नदबई , जिला भरतपुर
.....अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 08.10.2018 न्यायालय तहसीलदार नदबई व मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट मुकदमा नं 18/18 न्यायालय तहसीलदार नदबई।

उपस्थित –

- 1- श्री राजाराम डागुर अभिभाषक अपीलांट
- 2- श्री राजेश पचौरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक 08.05.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार नदबई के आदेश दिनांक 08.10.2018 के खिलाफ पेश हुई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार नदबई ने खसरा न. 324 रकवा 0.17,364 रकवा .42 चारागाह भूमि बांके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई पर तहसीलदार द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 08.10.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें विवादित आराजी पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किए जाने एवं पेन्लटी 708/- रुपये कायम करने की आज्ञा दी गयी है तथा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 3 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार नदबई से तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक ने अपील अंकित कथनों को दोहराते हुए बताया है कि अपीलांत के हाल खसरा न. 324 रकवा 0.17 ,364 रकवा 0.42 हैक्टेयर चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि खसरा न. 324 चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई में से क्रमश 0.17 व 0.42 हैक्ट रकवा पर अतिक्रमण दिखा दिया गया है। योग्य रेस्पो की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक पक्ष का तर्क है कि तहत न्यायालय में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने तीन माह का सिविल कारावास दण्ड से अपीलांत को दण्डित किया गया एवं 50 गुना पेनल्टी 708 रु फसल नीलामी आदेश पारित किये गये हैं। अपीलांत द्वारा पेनल्टी जमा करा दी गई है। एवं चारागाह भूमि से अपना कब्जा हटा लिया गया है। हमने खाली जमीन पड़ी हुई होने के कारण उसमें डहंचा बो दिया था। जो अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे विरुद्ध तीन माह का सिविल कारावास से दण्डित किया है जो कि गलत है क्यों कि अपीलांत ने सरकारी भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया था। अतः दिनांक 08.10.2018 के पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जाये।

पेरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार नदबई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 की ताईद करते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलांत द्वारा पूर्व में भी इस आररजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांत के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत की गई है। जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांत के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अंत में पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांत खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । आराजी खसरा नं 324 रकवा 0.17 , 364 रकवा 0.42 हैक्टेयर राजस्व रिकोर्ड में राजकीय चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा में अपीलांत द्वारा डहंचा एवं ज्वार बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलांत के

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट होता है एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 27.02.2019 की रिपोर्ट से अवगत कराया है कि अतिक्रमी ने अपना कब्जा हटा लिया है। पश्चातवर्ती अर्थात् विवादित आराजी पर अपीलांत अतिक्रमी का कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त पेनल्टी राशि अपीलांत के द्वारा जमा कराई जा चुकी है। जब अतिक्रमी अपीलांत के द्वारा विवादित चारागाह भूमि से मौके पर अतिक्रमण है हटाया लिया है। कब्जा नहीं होतो उसके विरुद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत रहता है।

अतः अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार नदबई को प्रति प्रेषित की जाती है कि बाद जांच मौके पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है तो ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 के तहत अपीलांत के विरुद्ध पारित सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है तथा शेष आदेश में कोई हस्तक्षेप न किया जाकर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(डॉ आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Web Copy - Not Official